न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 –1/2016
अनवान : –

1 सीताराम पुत्र मूलाराम जाति सूनार आयु 54 वर्ष निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। :–**प्रार्थी**

बनाम

1. बिमलादेवी पत्नी दशरथसिंह जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। :–**अप्रार्थी**

दरख्वास्त बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम

उपस्थिति :–श्री रतन धारीवाल वकील प्रार्थी
श्री कृष्ण गर्ग वकील अप्रार्थी

आदेश दिनांकः– 27.11.17

प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा भनाई के खसरा न0 620 की 6.437है0, खसरा न0 704/1 की 0.126है0, खसरा न0 705 की 1.960है0 कृषि भूमि जो पैतृक थी इस कारण दिनांक 12.06.2015 को भनाई में राजस्व अभियान 2015 में वाद सं0 53/14 के जरिये मूलाराम ने सभी वारिस के नाम प्रत्येक के 1/5 भाग दर्ज हो गई व प्रतिवादी सं0 2 ने अपनी पुत्री विधा को बहला फुसलाकर उसके 1/5 हिस्सा की दस्तरबरदारी अपने नाम 2/5 भूमि दर्ज करवाकर 2.086है0 अप्रार्थी को विक्रय कर दी मूलाराम का अब 1.2532है0, भूपसिंह का 1.7046है0 व गीतादेवी ने दिनांक 4.12.2015 को प्रार्थी के पक्ष मे दस्तरबरदारी करवाने पर उसके 3.4098है दर्ज है। सभी का संयुक्त रूप से कब्जा है। मूलाराम ने बिना खाता विभाजन करवाये अजनबी व्यक्ति अप्रार्थी को दिनांक 20.07.2015 को 2.086है0 बैय कर दी। जो खसरा न0 705 की अच्छी भूमि पर काबिज होने पर आमादा हैं। जबकि वह बिना खाता विभाजन करवाये विशेष खसरा पर कब्जा करने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी ने महज हिस्सा खरीदा है इसलिए अप्रार्थी को पाबंद किया जावे कि वह बिना खाता विभाजन करवाने प्रार्थी के कब्जा काश्त में मदालखत ना करें।

अप्रार्थी ने उपस्थित आकर जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि विधा ने स्वेच्छा से अपना हिस्सा मूलाराम के पक्ष में तर्क किया था तथा गीता ने अपना हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में तर्क किया तथा परिवार की सहमति से ही अप्रार्थी को भूमि विक्रय का सौदा किया व दिनांक 20.07.2015 को अप्रार्थी को भूमि पर सुबह काबिज कराकर बैयनामा तस्दीक व रजिस्ट्री करवा दी। व खसरा न0 704/1 व 705 की 2.086है0 पर अप्रार्थी ने बाड लगा दी व उक्त

बाबत मूलाराम व भूपसिंह ने बरोबरू गवाहान सहमति पत्र लिखकर दे दिया। उक्त सारी कार्यवाही परिवार से सभी सदस्यों की मौजूदगी व सहमति से हुई थी वाद भूमि का मूल खातेदार मूलाराम था जिसने अपने सहमति से वादी से अपने जीवनकाल में खातेदार करवाया व मूलाराम ने ही अप्रार्थी से भूमि विक्रय की है व काबिज कराया है। इसलिए प्रार्थी निषेधाज्ञा के जरिये कब्जे से हटाने का मजाज नहीं है। ना ही वह अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का मजाज है क्योंकि अप्रार्थी भी सहखातेदार है ऐसी सुरत में दावा दरख्वास्त चलने के काबिल नहीं है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई उभय पक्षकारान ने अपने लिखित कथनों को ही बहस में दोहराया है अधिवक्ता प्रार्थी ने वरवक्त बहस 2007(1) आरआरटी पेज 422, आरआरडी 1996 पेज 148, आरआरडी 1993 पेज 650, 2012 0188 0188(2) डीएनजे राज0 पेज 688 पेश की, अधिवक्ता अप्रार्थी ने आरआरडी 1995 पेज 270–271, 2014–15 सप्लीमैंट्री आरआरटी पेज 657–659, 2009(1) आरआरटी पेज 25, 2011–12 सप्लीमैंट्री आरआरटी पेज 192–194 की नजीरे पेश की जिनका ससम्मान अध्ययन किया। उक्त प्रार्थना पत्र को निस्तारण हेतु न्यायालय को निम्न तीन बिन्दूओं पर गौर करना है–

1 प्रथम दृष्टया मामला
2 सुविधा का संतुलन
3 अपूर्णिय क्षति

बिन्दू सं0 1:– प्रार्थी का मुख्य कथन है कि वाद भूमि संयुक्त परिवार की जायदाद है तथा उसके वारिसान दर्ज रिकार्ड है व सभी का संयुक्त रूप से कब्जा है मूलाराम ने अजनबी व्यक्ति को 2.086है0 भूमि विक्रय कर दी और वह खसरा न0 705 की भूमि पर काबिज होने पर आमादा है जबकि खाता विभाजन करवाये बिना वह विशेष खसरे पर कब्जा करने का हक नहीं रखता है।

इस बाबत स्वयं प्रार्थी ने स्वीकार किया है कि वाद भूमि उसके पिता मूलाराम की थी जिन्होंने राजस्व अभियान 2015 दिनांक 12.06.2015 को दावा के जरिये अपने बेटे बेटियों के नाम प्रत्येक को 1/5 भाग दर्ज करवाई थी जिसमें एक बेटी विधा ने अपना 1/5 भाग मूलाराम को जरिये दस्तबरदारी दे दी व दूसरी बेटी गीता ने अपना 1/5 भाग प्रार्थी को दे दिया। इसलिए यह निर्विवाद है कि वाद भूमि का मूल खातेदार मूलाराम था जिसने दावा के जरिये अपने बेटे बेटियों को सह खातेदार कराया व अप्रार्थी को बैयनामा के जरिये सह खातेदार कराया है ऐसे में मूलाराम के वारिसान मूलाराम के साथ मूल खातेदार नहीं माने जा सकते इसके अलावा स्वयं मूलाराम मूल खातेदार ने सह खातेदार को भूमि विक्रय की है तथा विक्रय पत्र तस्दीक रजिस्ट्री करवाई है व इसके अलावा मूलाराम व उसके बेटे भूपसिंह ने सहमति पत्र बरोबरू गवाहान लिखकर नोटरी से अटेस्टेड करवाकर अप्रार्थी को दिनांक 20.07.2015 को दे दिया है जिसमें उन्होनें खसरा न0 704/1 व 705 की 2.086है का कब्जा विमलादेवी के हवाले करने का कथन किया है ऐसे में अकेले प्रार्थी द्वारा खाता विभाजन करवाये बिना प्रार्थी के कब्जा काश्त में

मदाखलत ना करने बाबत निषेधाज्ञा प्राप्त करने का मजाज नहीं हो सकता क्योंकि प्रार्थी ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जिससे प्रथम दृष्टया ही यह माना जा सके कि खसरा न0 704/1 व 705 पर प्रार्थी का कब्जा हो जबकि दूसरी तरफ अप्रार्थी ने मूल खातेदार मूलाराम व उसके बेटों का सहमतिनामा की चित्रप्रति प्रस्तुत की है सह काश्तकारों की संयुक्त भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक काश्तकार का हक व हिस्सा होता है, मगर प्रत्येक सह काश्तकार के कब्जा में उसके रिकार्डेड हिस्सा की भूमि के अनुपात में भूमि है जिस पर वह काश्त कार्य हेतु स्वतंत्र उपयोग उपभोग करता है इस प्रकार अप्रार्थी वादभूमि में अपने हक हिस्सा तक कब्जा काश्त पर काबिज है। किसी सह काश्तकारी में किस सह काश्तकार को कौनसा हिस्सा मिलेगा, इसका निर्धारण मूल वाद में किया जाना है तब तक प्रत्येक सह काश्तकार अपने कब्जा काश्त के उपयोग उपभोग हेतु स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वाद/प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर चस्पा नहीं होते है जबकि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आरआरडी 1995 पेज 270–271 में माननीय रेवेन्यु बोर्ड ने अभिनिर्धारित किया है कि "यदि केता खरीद के साथ भमि के किसी हिस्से पर कब्जा कर लेता है और कब्जा उसके द्वारा खरीदी गई भूमि के बराबर हो तो निषेधाज्ञा के द्वारा उसे कब्जे से बेदखल नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार 2014–15 सप्लीमैंट्री आरआरटी 657–659 में अभिनिर्धारित किये है कि विधि अनुसार सह खातेदारी की प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सह खातेदार का कब्जा माना जाता है। तथा किसी सह खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं कराई जा सकती है तथा यही मत 2011–12 सप्लीमैंट्री आरआरटी 192–194 में माननीय रेवेन्यू बोर्ड ने अभिनिर्धारित किये हैं ऐसे मे अकेला प्रार्थी अपनी अकेले की इच्छा से बिना सभी सह खातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार दर्ज किये ऐसी निषेधाज्ञा की मांग नहीं कर सकता।प्रार्थी को वादभूमि अपने पिता मूलाराम से प्राप्त हुई है, अपने हिस्सा तक वह वादभूमि पर काबिज काश्त है। अप्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि उसकी भूमि से दूर है, इसलिए अप्रार्थी द्वारा उसके कब्जा काश्त में सरसरी तौर पर कोई दखलन्दाजी प्रतीत नहीं होती है दोनों पक्षकार अपने–अपने हिस्सा तक की भूमि पर कब्जा काश्त में उपयोग उपभोग कर रहे हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं पाया जाता है।

सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षतिः– चूंकि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया ही वाद बनना नहीं पाया जाता है ऐसे में सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति के बिन्दू पर विवेचना किये जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

फलतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने के योग्य ना होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 27.11.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा(हनु.)